रजिस्ट्री सं० डी.एल.--33004/95 REGD. NO. D.L.--33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)
Part II--Section 3--Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 526] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 11, 1995/भाद्र 20 , 1917
No. 526] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 11 ,1995/BHADRA 20, 1917

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1995

का०आ० 776(अ).--केन्द्र सरकार की यह राय है कि मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 58 की उप-धारा (1) के तहत जारी की गई भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की दिनांक 8 जून, 1989 की अधिसूचना सं० का०आ० 416 (अ) में विनिर्दिष्ट भारों से अधिक भार की इस आदेश के साथ संलग्न सारणी के कालम (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों के लिए उक्त सारणी के कालम (2) में समनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए अनुज्ञा दी जाए ।

2. इसलिए अब उक्त अधिनियम की धारा (58) की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि उक्त उप-धारा (3) के उपबंध

उक्त प्रकार के यानों पर इस आशोधन के साथ लागू होंगे कि ऐसे यानों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में यह प्रविष्टि की जाए कि वाहन का सकल भार और ऐसे यानों की किसी धूरी का पंजीकृत धूरी धूरी भार उक्त सारणी के क्रमश: कालम (3) और (4) में विनिर्दिष्ट भार से अधिक नहीं होगा :-

सारणी

वाहन की किस्म	वाहनों की समग्र लम्बाई	वाहनों की समग्र चौड़ाई	पहिए और टायर
बोकारो स्टील प्लांट का ट्रैक्टर ट्रेलर, जो जी वी डब्ल्यू-70.0 टी का कम्बीनेश है ।	6771	2500	14.00 × 20 22 पी आर

3. वाहन के मामले में गुरुत्तर भार सीमा नियत किए जाने हेतु उपर्युक्त छूट इस शर्त के अध्यधीन है कि वाहन बोकारो स्टील प्लांट के परिसर के भीतर प्रचालन में रहेगा और सुरक्षा संबंधी सभी उपायों का पालन किया जाना चाहिए ।

[सं० आर० टी०-11042/1/95-एम० वी० एल०]

के० आर० भाटी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(Transport Wing)

ORDER

New Delhi, the 11th September, 1995

S.O. 776 (E).—Whereas the Central Government is of the opinion that heavier weights than those specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport No. S.O. 416(E) dated the 8th June, 1989, issued under Sub-Section (1) of Section 58 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), may be permitted for vehicles of the type specified in Column (1) of the Schedule annexed to this Order in the locality specified in the corresponding entry in column (2) of the said schedule;

2. Now therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section (58) of the said Act, the Central Government hereby directs that the provisions of the said sub-section (3) shall apply to the said type of vehicles, subject to the modification that in the certificate of registration of such vehicles there may be entered that gross vehicle weight and the registered axle weight of any of the axles of such vehicles not exceeding the weight specified in columns (3) and (4) respectively of the said schedule :—

SCHEDULE

Type of Vehicle	Overall Length of Vehicles	Overall Width of Vehicles	Wheels & Tyres
Tractor Trailer combination of GVW-73.0 T (approx.) owned by Bokaro Steel Plant	6771	2500	14.00 × 20 22 PR

3. The above relaxation for the purpose of assigning higher weight limits in respect of the vehicle, is subject to the condition that the vehicle shall operate within the enclosed premises of the Bokaro Steel Plant and all safety measures should be adhered to.

[No. RT-11042/1/95-MVL]
K.R. BHATI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-1100054 • 1995